न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –63/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
बद्रीराम पुत्र भंवरूराम जाति बावरी निवासी भीलावास तहसील मेडता जिला नागौर		राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार मेडता सिटी जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां।

निर्णय दिनांक 16.10.2017

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2016 सरकार बनाम बदरीराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.04.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश के अनपढ, गरीब और पिछडी जाति का व्यक्ति है, जिन्हे साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है, परिवादी जब अपने अधिवक्ता से सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी लेने पहूंचा तब उसे यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 20.02.2017 को ही प्रकरण का निस्तारण उसकी अनुपस्थिति में कर दिया गया है और इस संबंध में प्रकरण से संबंधित प्रतिलिपियां 10.04.2017 को प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होते ही बिना देरी किये तुरन्त ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नरमी का रूख अपनाते हुए देरी को कंडोन किया जाकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। राजपैराकार ने कथन किया की प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्ट ने अंतिम बहस से पूर्व कथन किया की अपील मीमों में उनके द्वारा सहवन से वादग्रस्त भूमि मौजा भीलावास के स्थान पर टंकण त्रुटिवश मौजा बासनी सैजा अंकित हो गया है, जिसे वादग्रस्त भूमि को मौजा भीलावास पढ़े जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने वादग्रस्त भूमि मौजा भीलावास होने से उक्त सबंध में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया। रिकार्ड के अनुसार भी वादग्रस्त भूमि मौजा भीलावास होने से वकील

कलक्टर, नागौर

अपीलान्ट के उक्त कथन को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित मानते हुऐ वकुलाय की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में स्वय द्वारा प्रस्तुत अपील में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का बासनी सेजा की रिपोर्ट पर अपीलांट के विरूद्ध एक प्रकरण दिनांक 01.09.2016 को इस आशय का दर्ज किया गया कि अपीलांट ने सरहद मौजा भीलावास के खसरा नम्बर 192 रकबा 0.81 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा पर संवत 2073 में नाजायज कब्जा काश्त कर लिया है, जिस पर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया और दिनांक 26.09.2016 को अपीलांट ने अधिवक्ता के मार्फत उपस्थित होकर अपना जवाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब करने के लिए नोटिस जारी किये और अतंतः बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 20.02.2017 को अपीलांट के विरूद्ध निर्णय करते हुए उसे भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किये और जुर्माना कायम किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.09.2016 को अप्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत जवाब प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् पटवारी हल्का से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्रावली नियत की और तत्पश्चात् दिनांक 07.11.2016 तक तो उक्त प्रकरण तहसीलदार मेडता के न्यायालय में विचाराधीन था, तत्पश्चात् 28.11.2016 से उक्त प्रकरण की सुनवाई नायब तहसीलदार मेडता ने शुरू कर दी, जिसके संबंध में कभी भी कोई जानकारी अपीलांट को उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे अपीलांट साक्ष्य, सबूत और सुनवाई के रूप में अपना पक्ष रखने से वंचित रहा है और इस कारण निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

दिनांक 28.11.2016 से 20.02.2017 तक उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही थी और दिनांक 20.02.2017 को पटवारी हल्का से रिपोर्ट दिनांक 17.02.2017 को प्राप्त होने का अंकन करते हुए अपीलांट की अनुपस्थिति में उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जो निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ही उक्त प्रकरण दर्ज किया गया था, तत्पश्चात् पटवारी हल्का से रिपोर्ट लिये जाने का कोई औचित्य भी नहीं रहता है, अधीनस्थ न्यायालय ने बाले बाले अपीलांट को साक्ष्य सबूत और सुनवाई से वंचित रखने के दुराशय से बिना उसे रिपोर्ट का खण्डन करने का अवसर दिये ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने एक वाद उसके उपयोग उपभोग की आराजी के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश मेडता के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें तहसीलदार मेडता भी पक्षकार थे और जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 06/2017 भी प्रस्तुत किया गया और तहसीलदार मेडता उक्त प्रकरण में जरिये राजकीय अधिवक्ता के मार्फत उपस्थित हो गये, जिसमें सिविल न्यायालय ने दिनांक 25.01.2017 को ही मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर दिये। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने की जानकारी के बावजूद भी निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी और वाक्याती गलती की है। हस्तगत आराजी गैर मुमकिन मगरा है, जिस पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से काबिज है, अपने जवाब में अपीलांट ने उक्त कथन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे, कथित जायगा पर अपीलांट का पैतृक पूर्वजों के समय से मकान बना हुआ है, जहां परिवादी ने विधुत कनेक्शन भी ले रखा है और पानी का हौद बना रखा है। अपीलांट के आधार कार्ड पुत्र पुत्रियों परिजनों के राशन कार्ड आदि भी इसी जगह के बने हुए है। अपीलांट कथित जायगा पर लगभग 30 वर्षो से अधिक समय से अपने पूर्वजों के समय से काबिज है, जिसका इन्द्राज भी खसरा परिवर्तनशील में हो रखा है, जो सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की

जानकारी में थे, फिर भी पटवारी हल्का से बिना किसी कारण के पुनः रिपोर्ट लेकर पटवारी हल्का ने बदयान्ति पूर्वक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाल ही में कब्जा करने की रिपोर्ट पेश की और अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी और वाक्याती गलती की है। राज्य सरकार ने भी समय समय पर यह निर्देश जारी कर रखे है कि अनुसूचित जाति और गरीब तबके के लोगो को चिन्हित कर उनके जो भी मकान, ढाणियां बनी हुई है, उनमें किसी प्रकार की तोड फोड, रोक टोक नहीं की जावे और उन्हे चिन्हित कर उनका नियमन किया जावे। ग्राम पंचायत बासनी सेजा में भीलावास और बावरियों की ढाणियों को चिन्हित कर इन्हे आबादी के रूप में दर्ज करने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है। राज्य सरकार ने बावरियों के बास में अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने के कारण अपीलांट के पुत्र कैलाश व अपीलांट को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत चयनित कर उस सूची में इसका इन्द्राज भी कर रखा है, जो तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में होने के बावजूद भी निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। समय समय पर राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जाति और गरीब तबके के लोगो को उनके कब्जे के भूमि का नियमन करने के निर्देश जारी किये है, जो निर्देश समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू धारक होने के कारण प्राप्त होते रहे है, अपीलांट का कब्जा भी वर्षो पूर्व का पीढियो से स्थित है, जिस कारण अपीलांट के कब्जे का नियमन किया जाकर उसे पट्टा जारी किया जाना और नियमन का आदेश जारी किया जाना राज्य सरकार के निर्देशों में प्रकट है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बदयान्तिपूर्वक निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 20.02.2017 को खारिज किये जाने और राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपीलांट के कब्जे का नियमन कर उसे पट्टा जारी किये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की पटवारी हल्का बासनी सेजा की रिपोर्ट पर अपीलांट के विरूद्ध एक प्रकरण दिनांक 01.09.2016 को अपीलांट द्वारा सरहद मौजा भीलावास के खसरा नम्बर 192 रकबा 0.81 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा पर संवत 2073 में नाजायज कब्जा काश्त कर लिया है, जिस पर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया और दिनांक 26.09.2016 को अपीलांट ने अधिवक्ता के मार्फत उपस्थित होकर अपना जवाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को जबाब इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का बासनी सेजा से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का सेजा की पुनः रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त गै.मु. मगरा भूमि पर पक्का मकान व कच्ची दीवार से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जो कब्जा हाल ही वर्ष में किया गया है तथा अतिक्रमण पुराना नहीं होना बताते हुऐ अतिक्रमण से बेदखल करने का निवेदन किया है। जहां तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने स्वंय अपनी अपील में वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया है, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

वकील अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय मेड़ता द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2017 के द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना बताया है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

कलक्टर, नागौर

जहाँ तक वकील अपीलान्ट द्वारा पुराना कब्जा के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नियमन करने का उज्र लिया है। उक्त संबंध में निगरानी/एल.आर./2885/2006 मूलनाथ बनाम सरकार निर्णय दिनांक 24.04.2017 मा0 राजस्व मण्डल अजमेर की नजीर पेश कर कथन किया की धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, जो कि उक्त नजीर से स्पष्ट होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत नजीर का अद्योपान्त अवलोकन किया। पटवारी हल्का बासनी सेजा की द्वारा सरहद मौजा भीलावास के खसरा नम्बर 192 रकबा 0.81 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा पर संवत 2073 में नाजायज कब्जा कर पक्का मकान व कच्ची दिवार से बाड़ा बनाकर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक गगराना से सत्यापित रिपोर्ट दिनांक 19.8.16 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 26.9.2016 को जबाब प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट कि अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर दिया गया है।

अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का बासनी सेजा से पुनः प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा उक्त वादग्रस्त गै.मु. मगरा भूमि पर पक्का मकान व कच्ची दीवार से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जो कब्जा हाल ही वर्ष में किया गया है तथा अतिक्रमण पुराना नहीं होना बताते हुऐ अतिक्रमण से बेदखल करने का निवेदन किया है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा भी अपनी अपील में वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

जहाँ तक वकील अपीलान्ट द्वारा पुराना कब्जा के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नियमन करने का उज्र लिया है। राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत नजीर निगरानी/एल.आर./2885/2006 मूलनाथ बनाम सरकार निर्णय दिनांक 24.04.2017 मा0 राजस्व मण्डल अजमेर से राजपैरोकार द्वारा किये गये कथन की धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, को बल मिलता है।

वकील अपीलान्ट का कथन की उसके उपयोग व उपभोग के आराजी संबंध में सिविल न्यायालय मेड़ता द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2017 के द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना बताया है, परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर